स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदीकुई (जिला दौसा)

विवरणिका

2021–2022

प्रकाशक

प्रो. सुनीता विजयवर्गीय

सम्पादक मण्डल
डॉ. एम.एल. गुर्जर
डॉ. विनोद कुमार बैरवा

स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदीकुई (दौसा) फोन 01420–228049
Website – hte.rajasthan.gov.in Email ID: srpgc.bandikui@yahoo.com
bandikuisrpgc@gmail.com

प्राचार्य
प्रो. सुनीता विजयवर्गीय

अनुक्रमणिका

क्र स	विवरण	पृष्ठ
1	प्राचार्य की कलम से	5
2	महाविद्यालय : एक परिचय	6
3	प्रवेश कार्यक्रम (तिथियॉ)	7
4	पाठ्यक्रम एवं विषय	9
5	सामान्य नियम	12
6	सहशैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ	17
7	छात्रों को देय सुविधाएँ	19
8	शुल्क सम्बन्धी नियम	20
9	महाविद्यालय शुल्क तालिका	21
10	कक्षावार शुल्क तालिका	22
11	छात्रवृत्तियाँ	23
12	संकाय सदस्य	27
13	कर्मचारी वृन्द	28

प्राचार्य की कलम से

प्रिय विद्यार्थियों,

ऐतिहासिक नगरी आभानेरी के समीप बाणगंगा' सॉवा नदियों के वनाच्छदित तटीय क्षेत्र में स्थित स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बॉदीकुई में नूतन सत्र 2021-2022 में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस संस्था का आदर्श वाक्य है ' मे मन: शिव संकल्पमास्तु' अर्थात मेरा मन शुभ संकल्प से युक्त हो । मॉ सरस्वती के इसपावन मन्दिर मे प्रवेश प्राप्त कर आप शैक्षणिक , सहशैक्षणिक, एवं शिक्षणेतर गतिविधियों में सहभागी बनकर उन्नति में चार चॉद लगाये। यह संस्था प्रयास करती है कि शैक्षिक श्रेष्ठता में कर्तव्य तथा निष्ठा का पुट दिया जाए, विद्ध्ता का गठबंधन शुद्धता और मनन से किया जाए। यहॉ आपको शिक्षा देने के लिए सभी शिक्षक अपने अपने विषय में निष्वास एंव विद्धता के चरमोत्कर्ष पर है।

शिक्षा व्यक्ति का सर्वागीण विकास करती है। इसके साथ ही शिक्षा नवयुवकों को संस्कारवान बनाकर चरित्र निर्माण करती है और उन्हे राष्ट निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए उत्प्रेरित करती है। एक प्राचीन भारतीय वाडमय से ली गई उक्ति है ' सा विद्या या विमुक्तये ' अर्थात विद्या वह है जो विद्या मुक्त करती है' यह मुक्ति है निर्धनता से , अज्ञान और पूर्वाग्रहों से,। शिक्षा जाति वर्ग सम्प्रदाय,धर्म आदि के भेदो को मिटाती है तथा सभी प्राकर के बन्धनो से मुक्त कराती है। शिक्षा अन्तश्चेतना जाग्रत कर मानव प्रेम उपजाती है, जिससे विश्वबन्धुत्व की फसल सिंचित होती है। इस तरह मानवता के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आइए, उच्च शिक्षा के लिए आप इस संस्था में प्रवेश प्राप्त कर ज्ञानार्जन करें, गुरूजनों का आदर करें, अपने कार्य व्यवहार से दूसरों को प्रसन्नता दें, अनुशासित रहें और अपने में छिपी हुई प्रतिभा को निखारें। अपने कौशल और स़जन से महाविद्यालय एवं आने परिवार का नाम रोशन करते हुए भारत के सुनागरिक होने का परिचय देवे, और ऐसे मानक स्थापित करें जिससें संस्था की गरिमा व अस्मिता अक्षुण्ण बनी रहे।

विद्यार्थी जीवन आपके जीवन का स्वर्णिम काल है। इस समय किया गया परिश्रम आपके भविष्य की सुदृढ नीवं रखेगा।

आपको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ ।

प्राचार्य
प्रो. सुनीता विजयवर्गीय

महाविद्यालय : एक परिचय

राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर से लगभग 91 किमी तथा आगरा से 151 किमी की दूरी पर स्थित राज्य के दौसा जिले का उपखण्ड मुख्यालय बॉदीकुई, रेलवे के कारण ब्रिटिश काल से ही भारतवर्ष के मानचित्र पर ख्यातनाम रहा है।

भौगोलिक दृष्टि से बाणगंगा से कुछ ही किमी दूर सॉवा नदी के तट पर स्थित होने के कारण यह नगर तथा इसके आसपास का क्षेत्र हरा भरा रहा है। इससे 20 किमी दूरी पर गालव ऋषि की तपोभूमि झाझीराम पुरा अरावली की पहाडियों के मध्य एक पुरातन सैरगाह तथा सैलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। दूसरी ओर आभानेरी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां प्रतिहार काल में निर्मित चॉद बावडी तथा उस पर लगे पत्थरों पर उकेरी हुई मूर्तियॉ शिल्प कला का एक अदभूत नमूना है। देश के बहुतेरे संग्रहालयों में इस शिल्प की मूर्तिया प्रदर्शित की गई है। कस्बे के पश्चिमी छोर को छूते हुई मेगा हाइवे के निर्माण से कस्बे की महत्ता बढी है। बॉदीकुई नगर शैक्षणिक दृष्टि से आरम्भ से ही उन्नत रहा है। रेलवे तथा इस क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। नगर विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए बॉदीकुई नगर में अक्टूबर 1977 में वाणिज्य संकाय के 40 छात्रों के साथ इस महाविद्यालय का शुभारम्भ हुआ। 1983 में कला संकाय भी प्रारम्भ किया गया। आरम्भ में यह महाविद्यालय शहर के मध्य स्थित धर्मशाला के चार कमरों में चलता रहा । महाविद्यालय के वर्तमान भवन का शिलान्यास सांसद श्री अमिताभ बच्चंन, श्री राजेश पायलट, परिवहन राज्यमंत्री, भारत सरकार एवं श्री चन्द्रशेखर शर्मा, संसदीय सचिव, राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1986 को प्राचार्य श्री हीरालाल मैढ़ की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। शिलान्यास समारोह में श्रीमती जया बच्चन एवं श्रीमती रमा पायलट विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। 1991 में बसवा रोड पर महाविद्यालय का वर्तमान भवन बन कर तैयार हुआ और सम्पूर्ण महाविद्यालय इस परिसर में स्थानान्तरित हो गया। सन् 2003 में स्व. राजेश पायलट के नाम पर इस महाविद्यालय का नाम राज्य सरकार के आदेशानुसार स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हो गया। सत्र 2003-2004 में स्ववित्तपोषी योजना के तहत विज्ञान संकाय में स्नातक और हिन्दी साहित्य एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाए प्रारम्भ की गई। सत्र 2005-2006 से भूगोल विषय भी स्नातक स्तर पर इसी योजना के तहत प्रारम्भ किया गया। अध्यापन के अतिरिक्त सह-शैक्षणिक गतिविधियॉ, विभिन्न मंचों यथा राष्टीय सेवा योजना, खेलकूद, योजना मंच, स्काउटिंग, एऩसीसी और महिला प्रकोष्ठ के द्वारा करवाई जाती हैं। यूजीसी द्वारा गठित राष्टीय मूलयांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा सत्र 2005 व 2016 मे इस महाविद्यालय को बी श्रेणी प्रदान की गई ।

ध्यातव्य है कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में इस महाविद्यालय को सर्वाधिक स्कूटियॉ आवंटित होती है।

केवल 40 छात्रो की नगण्य संख्या से आरम्भ होकर इस महाविद्यालय की छात्र संख्या 3375 तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण अंचल के विद्धार्थियों के लिए इस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के नियमित अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाती है।

इस महाविद्यालय में वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविधालय एवं इन्दिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविधालय (इग्नू) के अध्ययन केन्द्र संचालित है। जिसके द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है।

प्रवेश सम्बन्धी मार्गदर्शन के लिए हैल्प डैस्क समिति–

क्र सं	नाम		मोबाईल न
1	डॉ एम एल गुर्जर	नोडल अधिकारी स्नातकोत्तर	9413967107
2	डॉ. विनोद कुमार बैरवा	नोडल अधिकारी स्नातक	9414300816
3	डॉ. के.डी.मीना	समन्वयक	9460877254
4	सीमा खड़कवाल	प्रभारी स्नातक कला संकाय प्रथम वर्ष	6378458535
5	डॉ संगीता नागरवाल	प्रभारी स्नातक कला संकाय द्वितीय वर्ष	9462042302
6	डॉ बी डी रावत	प्रभारी स्नातक कला संकाय तृतीय वर्ष	9166529274
7	डॉ सज्जन सिंह	प्रभारी विज्ञान संकाय	9024966450
8	डॉ. जे.पी. मीना	प्रभारी वाणिज्य	9462084067
9	डॉ शिल्पी शंगारी	प्रभारी , हेल्पडेस्क	9829287924

पाठ्यक्रम एवं विषय

स्नातक : 1 कला संकाय 2 वाणिज्य संकाय 3 विज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर : 1 राजनीति विज्ञान 2 हिन्दी

विशेष निर्देश

1 विषय का चयन करते समय विशेष सावधानी रखें।

2 आवेदक को चाहिए स्नातक कक्षा भाग प्रथम हेतु वैकल्पिक विषयों को वरीयता क्रम से पॉच विकल्प अपनी पसन्द के विषय समूह मय कोड अंकित करें।

3 प्रवेश के पश्चात् चयनित विषय में परिवर्तन रिक्त स्थान रहने पर ही घोषित अवधि में नियमानुसार शुल्क जमा कराकर ही किया जा सकेगा और तत्पश्चात् विषय में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

4 सभी विषय–समूहों में स्थान संख्या निर्धारित है। अतः संबंधित विषय समूह में स्थान भर जाने की स्थिति में प्रवेश समिति को अन्य विषय–समूह में स्थान उपलब्ध होने की सीमा तक आवेदक का विषय, आवेदक द्वारा दिये गये विषय–समूह के अलावा अन्य विषय–समूह में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिसे मानना आवेदक के लिए अनिवार्य होगा।

1 कला संकाय

स्नातक भाग प्रथम

अनिवार्य विषय –

1.	सामान्य हिन्दी	2	सामान्य अंग्रेजी
3	प्रारम्भिक कम्प्यूटर	4	पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय –

1	हिन्दी साहित्य	2	अंग्रेजी साहित्य
3	संस्कृत	4	राजनीति विज्ञान
5	अर्थशास्त्र	6	इतिहास
7	समाजशास्त्र	8	भूगोल

नोट–

1 वैकल्पिक विषय–समूहों का चयन करने से पूर्व निम्नांकित अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसकी पालना करें।

2 कला संकाय में निम्नलिखित वैकल्पिक विषय–समूहों में से पाँच समूहों का वरीयता क्रम में चयन करें।

3 राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में स्नातक प्रथम वर्ष कला संकाय में 10 वर्ग स्वीकृत है तथा प्रत्येक वर्ग में 80 सीट निर्धारित है।

4 **वैकल्पिक विषय–समूह एवं कोड संख्या** –

Sr.No.	Course Name	First Subject	Second Subject	Third Subject
1	BA Part I	Hindi Literature	Geography	English Literature
2	BA Part I	Hindi Literature	History	Sanskrit
3	BA Part I	Hindi Literature	Political Science	English Literature
4	BA Part I	Hindi Literature	Political Science	History
5	BA Part I	Hindi Literature	Political Science	Sanskrit
6	BA Part I	Hindi Literature	Political Science	Sociology
7	BA Part I	History	Geography	Economics
8	BA Part I	History	Sociology	Economics
9	BA Part I	Political Science	English Literature	Economics
10	BA Part I	Political Science	Geography	Sanskrit

नोट–

स्नातक प्रथम वर्ष कला के विद्यार्थी प्रवेश फार्म भरते समय वैकल्पिक विषयों का चयन उपर्युक्त विषय–समूह के अनुसार ही करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि प्रवेश फार्म पर वैकल्पिक समूह चयन में अपनी पाँच वरीयता अंकित करें।

स्नातक भाग द्वितीय व तृतीय में विषय–समूह, इस संस्था के स्नातक भाग प्रथम (कला संकाय) में चयनित वैकल्पिक विषय समूह ही मान्य होगा।

2. वाणिज्य–संकाय

1 स्नातक भाग प्रथम

अनिवार्य विषय – 1 सामान्य हिन्दी 2 सामान्य अंग्रेजी
3 प्रारम्भिक कम्प्यूटर 4 पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय– 1 लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी 2 व्यावसायिक प्रशासन
3 आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन

2 **स्नातक भाग द्वितीय व तृतीय** में विषय–समूह, इस संस्था के स्नातक भाग प्रथम (वाणिज्य संकाय) में चयनित वैकल्पिक विषय समूह ही मान्य होगा।

विशेष नोट –

क स्नातक के समस्त संकायों की कक्षा में जिन प्रश्न–पत्रों के पाठयक्रम में विकल्प की व्यवस्था है, छात्र उनमें केवल उसी विकल्प का अध्ययन करेंगे जिसे संबंधित विभाग द्वारा इस संस्था में अध्ययन हेतु मान्य किया जावेगा।

ख **राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में स्नातक प्रथम वर्ष वाणिज्य– संकाय में 01(एक) वर्ग स्वीकृत है तथा 80 सीट निर्धारित है।**

3. विज्ञान–संकाय

1 स्नातक भाग प्रथम

<u>अनिवार्य विषय</u> – 1 सामान्य हिन्दी 2 सामान्य अंग्रेजी
3 प्रारम्भिक कम्प्यूटर 4 पर्यावरण अध्ययन

<u>ऐच्छिक विषय–</u>

<u>जीव विज्ञान समूह</u>		<u>गणित समूह</u>	
1	रसायन शास्त्र	1	भौतिक शास्त्र
2	वनस्पति शास्त्र	2	रसायन शास्त्र
3	प्राणी शास्त्र	3	गणित

2 स्नातक भाग द्वितीय व तृतीय में विषय–समूह, इस संस्था के स्नातक भाग प्रथम (विज्ञान संकाय) में चयनित वैकल्पिक विषय समूह ही मान्य होगा।

विशेष नोट –

1 विज्ञान संकाय के विद्यार्थी सी. सै. कक्षा के समूह में ही प्रवेश के पात्र होंगे।

2 **वर्तमान समय में विज्ञान संकाय के स्नातक प्रथम वर्ष के गणित व जीव विज्ञान समूह में एक – एक वर्ग है तथा प्रत्येक वर्ग में 70 सीट है।**

4. <u>स्नातकोत्तर कक्षाएँ</u>

1 **राजनीति विज्ञान एवं हिन्दी साहित्य – पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध**

नोट – राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान पूर्वार्द्ध में 01(एक) वर्ग स्वीकृत है जिसमें 60 सीट निर्धारित है।

उपलब्ध सीटों की संख्या

कला संकाय

स्नातक भाग प्रथम	800
स्नातक भाग द्वितीय	800
स्नातक भाग तृतीय	800

विज्ञान संकाय

स्नातक भाग प्रथम गणित	70
स्नातक भाग द्वितीय	70
स्नातक भाग तृतीय	70
स्नातक भाग प्रथम जीव विज्ञान	70
स्नातक भाग द्वितीय	70
स्नातक भाग तृतीय	70

वाणिज्य संकाय

स्नातक भाग प्रथम	80
स्नातक भाग द्वितीय	80
स्नातक भाग तृतीय	80

स्नातकोत्तर हिन्दी संकाय

स्नातकोत्तर भाग प्रथम	60
स्नातकोत्तर भाग द्वितीय	60

स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर भाग प्रथम	60
स्नातकोत्तर भाग द्वितीय	60

सामान्य नियम

1. नो मास्क नो एन्ट्री की पालना करे।

2. सेनिटाइजर का प्रयोग करे।

3. आपस में दो गज की दूरी बनाए रखे।

4. महाविद्यालय का नवीन सत्र 2021–22 प्रारम्भ होने से पूर्व ही सभी संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम भाग में प्रवेश की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जायेगी। आप सूचना पट्ट से इस बारे में नियमित जानकारी लेते रहे।

5. पार्ट प्रथम की कक्षाएँ प्रवेश कार्य पूर्ण होते ही प्रारम्भ हो जायेगी। आप समय सारिणी देखकर कक्षाओं में नियमित रूप से बैठना प्रारम्भ कर दें।

6. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के अनुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अतः कक्षाओं मे नियमित रूप से उपस्थित रहें। 75 प्रतिशत से कम होने पर छात्र को स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा देनी होगी।

7. अपना परिचय पत्र हर समय आपने साथ रखें। इसी से आपके नियमित होने की अधिकृत पहचान होगी।

8. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की उच्छृंखलता एवं अनुशासहीनता दण्डनीय है।

9. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ यथा बीडी, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन पूर्णतः वर्जित है। महाविद्यालय परिसर तम्बाकू निषेध क्षेत्र है। इसमें एवं इसके आप–पास के 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में इनका सेवन व विक्रय दण्डनीय अपराध है।

10. किसी भी विद्यार्थी द्वारा अन्य विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार (रैगिंग) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतः वर्जित है। दोषी छात्र के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11. **महाविद्यालय में किसी भी बाहरी एवं गैर छात्र का प्रवेश वर्जित है। प्रत्येक छात्र इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने साथ बाहर से किसी भी गैर छात्र को परिसर में न लायें।**

12. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों का मोबाईल फोन लाना पूर्णतः वर्जित है।

13. महाविद्यालय में एन.एस.एस, एन.सी.सी., स्काउटिंग, बाद विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता व अन्य अनेक प्रकार के पाठ्येत्तर गतिविधियॉ आयोजित की जाती है। इन गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा व व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना आपके लिए हितकारी होगा।

14. महाविद्यालय और आपके मध्य प्रमुख सम्पर्क सूत्र सूचना पट्ट ही है। इसे प्रतिदिन देख लेना उचित होगा। कोई सूचना जो सूचना पट्ट पर लगाई गई और वह यदि आपने नहीं देखी तथा परिणामतः आपको कोई हानि हुई तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

15. अंकतालिका, मूल प्रमाण पत्र आदि जो भी दस्तावेज आप महाविद्यालय में आवेदन पत्र के साथ जमा करावे उनकी कम से कम दस प्रमाणित प्रतिया अपने पास अवश्य रखें। प्रवेश आवेदन पत्र में से किसी की भी प्रतिलिपि नहीं दी जायेगी।

16. फीस की रसीद, पुस्तकालय कार्ड एवं परिचय पत्र सॅभालकर रखें।

17. प्रत्येक छात्र को कालेज से एक परिचय पत्र दिया जायेगा जिस पर उसका फोटो व हस्ताक्षर होंगे। परिचय–पत्र पर प्राचार्य/उपाचार्य के हस्ताक्षर एवं सील होने पर ही मान्य होगा। विद्यार्थी से कभी भी यह परिचय पत्र माँगा जा सकता है। अतः महाविद्यालय में छात्रो को हमेशा परिचय पत्र अपने पास रखना चाहिये। खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा कराने एवं प्रथम श्रेणी दण्डनायक या नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18. प्रवेश संबंधी विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने की तिथियाँ महाविद्यालय सूचना पट्ट पर समय समय पर लगा दी जायेगी। अतः इन सूचनाओं के लिए महाविद्यालय सूचना पट्ट देखे।

19. प्रवेश सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए निदेशालय, कॉलेज शिक्षा की बेवसाईट Hte.rajasthan.gov.in पर प्रवेश नीति **2021–2022** को देंखे

प्रवेश प्रक्रिया

1 स्नातक कक्षाओं बी.ए/बी.कॉम /बी.एस.सी. भाग प्रथम व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के फार्म निदेशालय ,कालेज शिक्षा राजस्थान के बेव पोर्टल पर ऑन लाइन भरे जाएंगे। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के सभी निर्देश बेव पोर्टल पर प्राप्त होंगे। वेबसाइट पर आवेदन पत्र व विवरणिका उपलब्ध है।

2 **स्नातक कक्षाओं बी.ए. / बी. कॉम / बी.एस.सी. प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र सहित फीस ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी। प्रवेशार्थी को ई–मित्र, नेट बैंकिग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फीस जमा करवाने की सुविधा रहेगी। प्रवेश नीति बिन्दु संख्या 6.16 में कहा गया है कि जिन विद्यार्थीयों ने सी.बी.एस.ई.या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण की है तथा किसी आरक्षण /बोनस अंक के लिए आवेदन नहीं किया गया है ऐसे विद्यार्थी सीधे ई–मित्र / नेट बैंकिग / क्रेडिट –डेबिट कार्ड से फीस जमा करा सकेंगे। विद्यार्थियों को कालेज से परिचय पत्र प्राप्त करते वक्त मूल टी.सी. / सी.सी. प्रस्तुत करने होंगे। बिन्दु संख्या 6.17 में कहा गया है कि प्रथम सूची में आरक्षण / बोनस में दावे प्रस्तुत करने वाले विद्यर्थियों को सूची मे नाम आने से पहले टी.सी./ सी.सी. व अन्य दस्तावेज प्रमाणित करवाने होगें इसके बाद ही वे फीस जमा करा सकेंगे। बिन्दु संख्या 6.18 में द्वितीय प्रवेश सूची की घोषणा के साथ शेष विद्यार्थियों की वरीयता सूची जारी होगी। प्रतिक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों को डी.डी. से अन्तरिम प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा। प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा चुके ऐसे अभ्यर्थी जो की प्रवेश के लिए स्थान नही बना पाये उनके द्वारा डी.डी. के रूप में जमा करवाया गया शुल्क पुनः लौटा दिया जायेगा।**

3 स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की कक्षाओं के प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जायेंगे।

4 स्नातक कक्षाओं बी.ए/बी.कॉम भाग द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उतरार्द्ध के नियमित विद्यार्थी परीक्षा परिणाम का इंतजार किये बिना निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कराकर अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रवेश देना संभव नही होगा।

5 प्रवेश आवेदन पत्र में अपना एवं अपने अभिभावक का नाम वही लिखें जो बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय के प्रमाण–पत्र मे लिखा है।

6 यदि आप स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षा में एक से अधिक विषयों में आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक विषय के लिए अलग–अलग आवेदन करे। एक विषय से दूसरे विषय/विषयों में आवेदन पत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

7 **राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रवेश नहीं दिया जायेगा।**

8 जिन छात्रों /छात्राओं को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक आगामी कक्षा में यदि वह नियमानुसार पात्र है, तो अस्थायी प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जायेगी। **निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने की स्थिति में पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।** पूरक के आधार पर प्रविष्ट छात्रों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के सात दिन के अन्दर अंकतालिका जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। **पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने की स्थिति में छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।**

9 प्रत्येक प्रवेश सूची मय प्रतीक्षा सूची जारी होने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थियों को मूल अंकतालिकाएं, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जॉच महाविद्यालय में करानी होगी। सत्यापन के बाद ही ई–मित्र काउन्टर पर/नेट बैकिंग/डेबिट कार्ड द्वारा शुल्क जमा कराना होगा।

10 प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त सभी अभ्यार्थियों को भी दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर अंतरिम प्रवेश शुल्क ई–मित्र पर निर्धारित तिथि तक जमा करवाना होगा। प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा चुके ऐसे अभ्यार्थी जिनका प्रवेश नही हो पाता है उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क महाविद्यालय द्वारा पुनः लौटा दिया जायेगा।

11 अधूरे, बिना प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।

12 राजस्थान विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने तक सभी प्रवेश अस्थायी माने जायेंगे।

13 किसी भी पाठ्यक्रम मे अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा कराने के पश्चात शुल्क वापस देय नही होगा।

विशेष नोट – प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में जिन छात्रों का प्रवेश मुख्य सूची में हो गया है, उन्हें निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करवाना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद उनका प्रवेश निरस्त हो जायेगा। इसमें विलम्ब शुल्क का जमा करने का प्रावधान नहीं है।

(अ) स्नातक प्रथम भाग एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के विद्यार्थी आवेदन पत्र की हार्ड कोपी के साथ निम्नाकिंत दस्तावेज संलग्न करें–

1	सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका की प्रति	(स्वयं द्वारा सत्यापित)
2	अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका की प्रति	(स्वयं द्वारा सत्यापित)
3	स्थानान्तरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति	(स्वयं द्वारा सत्यापित)
4	SC/ST/OBC/MBC के प्रमाण पत्र की प्रति	(स्वयं द्वारा सत्यापित)
5	EWS के प्रमाण पत्र की प्रति	(स्वयं द्वारा सत्यापित)
6	विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति	(स्वयं द्वारा सत्यापित)
7	बी.पी.एल प्रमाण पत्र	(स्वयं द्वारा सत्यापित)
8	आय प्रमाण पत्र	(मूल)
9	बोनस अंक संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की प्रति	(स्वयं द्वारा सत्यापित)

10 अन्तराल शपथ पत्र– यदि अर्हकारी परीक्षा में उपरान्त प्रवेशार्थी एक या दो सत्र के बाद प्रवेश लें तो उसे अन्तराल शपथ पत्र, जिसे स्वयं द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा। (महिलाओं के लिए लागू नहीं)

नोट –

1 **स्वयंपाठी आवेदक की स्थिति में अंतिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं दो उत्तरदायी व्यक्तियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र।**

(ब) **स्नातक भाग द्वितीय / तृतीय एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध)**

1 अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित प्रति (यदि परीक्षा परिणाम बाद में घोषित हो तो अंकतालिका प्राप्त होने के उपरान्त तुरन्त जमा करावें जिससे आपका प्रवेश नियमित किया जा सकें)।

2 यदि परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है तो प्रवेश पत्र अथवा परिचय–पत्र की सत्यापित फोटो प्रति

परीक्षा सम्बन्धी नियम

1 परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा सम्बन्धी जानकारी व नियमों के लिए छात्र/छात्राएँ समय समय पर महाविद्यालय का सूचना पट्ट देखें।

उपस्थिति के नियम

1 प्रत्येक छात्र के लिए सत्र के दौरान प्रत्येक विषय में (सैद्धान्तिक/ प्रायोगिक कक्षाओं) कम से कम **75 प्रतिशत** उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमानुसार आवश्यक है।

2 एन.सी.सी. परेड व कैम्प एवं कॉलेज की ओर से खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा विश्वविद्यालय व अंतर विश्वविद्यालय युवक समारोह मे भाग लेने वाले विद्यार्थी जितने वास्तविक दिन अनुपस्थित रहेंगे उतने दिनों के लिए उन्हें कक्षा में उपस्थित माना जायेगा, यदि उन्होंनेः

1 प्राचार्य/निदेशक के हस्ताक्षर सहित संबंधित प्राध्यापक महोदय की लिखित आज्ञा इसके लिए पहले से ली है।

2 निर्धारित प्रपत्र पर इस सब कार्यवाही का विवरण संबंधित प्राध्यापक महोदय से हस्ताक्षर सहित गतिविधियों की समाप्ति से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।

3 कोई छात्र शैक्षणिक सत्र में **बॉदीकुई** से बाहर, दो से अधिक बार अपने महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व (किसी विशेष परिस्थिति को छोडकर) नही कर सकेगा।

4 छुट्टीयों मे होने वाले अतिरिक्ति कार्यक्रमों के लिए उक्त प्रकार की उपस्थिति नही मिल सकेगी।

3 विभिन्न पूरक परीक्षाओं मे बैठने वाले विद्यार्थी, जिन्हे अस्थायी रूप से अगली कक्षाओं मे प्रवेश दिया गया है, की उपस्थिति पूरक परीक्षा की समाप्ति से अधिक से अधिक दो दिन की समयावधि से गिनी जायेगी। जिन विद्यार्थीयो को पूरक परीक्षा अगली मुख्य परीक्षा के साथ देनी है उनकी उपस्थिति सत्रारम्भ से ही गिनी जायेगी।

4 छात्र को चाहिये कि वह समय समय पर अपनी उपस्थिति की जानकरी कर लें। यदि कोई छात्र लगातार 30 कार्य दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थिति रहा तो उसका नाम काटा जा सकता है। पुनः प्रवेश के लिए जुर्माना तथा प्रवेश शुल्क जमा करवाना होगा।

5 उपस्थिति का प्रतिशत अन्य सभी मामलो में कक्षाएँ होने के दिन से निकाला जायेगा न कि विद्यार्थी के कक्षा प्रवेश के दिन से । सत्र के मध्य मे स्थानान्तरण होकर आने वाले विद्यार्थियो के मामले में यदि महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय से सबंद्ध है और विद्यार्थी समान कक्षा में समान विषयो के साथ प्रवेश ले रहा है तो उसकी उपस्थिति स्थानान्तरित होगी।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1 पुस्तकालय से आपको दो कार्ड मिलेंगे। प्रत्यके कार्ड पर आप एक पुस्तक 15 दिन के लिए घर ले जा सकते हैं। ये कार्ड एक सत्र के लिए होते हैं और ये अहस्तांतरणीय है। सत्र समाप्ति पर कार्ड वापस जमा करवाना आवश्यक है।

2 यदि पुस्तकालय कार्ड खो गया जो तुरन्त पुस्कालयाध्यक्ष को सूचित करें एवं सुनिशिचत करें कि उस कार्ड पर कोई पुस्तक नही ली गई है। इस कार्ड पर कोई पुस्तक निर्गमित न होने पर निर्धारित शुल्क देकर पुनः कार्ड बनवाया जा सकता है।

3 किसी भी कार्ड पर निर्गमित पुस्तक की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यार्थी की होगी। अतः पुस्तक और कार्ड दोनों की सुरक्षा के लिए विद्यार्थी सजग रहें।

4 एक पुस्तक 15 दिन की अवधि के लिए दी जाती है परन्तु विशेष परिस्थिति में पुस्तक पहले भी मंगवाया जा सकता है। 15 दिन की अवधि के पश्चात् लौटाई गई पुस्तक उसी छात्र को नहीं दी जायेगी।

5 निश्चित अवधि के पश्चात् लौटाई गई पुस्तक पद एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा जो पुस्तकालय काउण्टर पर ही वसूल कर लिया जायेगा।

6 पुस्तकों का पूरा ध्यान रखिए। वे फटे नहीं, चिह्नित न की जायें, पृष्ठ न मोड़े जायें और बीच में से पृष्ठ न फाड़े जायें, अन्यथा आपसे पुस्तक का दुगना मूल्य वसूल किया जावेगा। पुस्तक निर्गमित कराते समय ही आश्वस्त हो ले कि पुस्तक सही दशा में है।

7 सन्दर्भ–ग्रन्थ, पाठ्यक्रम पुस्तक, शब्द–कोश, मानचित्र, परीक्षा प्रश्न–पत्र, समाचार–पत्र एवं पत्रिकाओं का उपयोग केवल पुस्तकालय कक्ष मे ही किया जा सकता है। इन्हे घर ले जाने की अनुमति नहीं है।

8 पुस्तकालय में आप पूर्ण शान्ति रखें। आपके किसी भी कार्य से दूसरे के अध्ययन में बाधा नहीं होनी चाहिए।

9 पुस्तकालय सम्बन्धी सभी समस्याओं के लिए छात्र पुस्तकालय समिति के सम्पर्क करें, जिनके सदस्यों की सूचना पुस्तकालय में उपलब्ध है।

10 पुस्तकालय से पुस्तक चोरी किये जाने पर सम्बन्धित छात्र से पुस्तक का दुगना मूल्य एवं दण्डस्वरूप रुपये 100/– वसूल किये जायेंगे।

11 परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व पुस्तकें एवं पुस्तकालय कार्ड पुस्तकालय में लौटाकर अदेय प्रमाण पत्र प्रमाणित करावें इसके अभाव में प्रवेश पत्र पर महाविद्यालय की सील लगाना संभव नहीं होगा जिसके बिना प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा।

सह शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियाँ

महाविद्यालय में अध्ययन के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम संचालित किये जाते है। जिनसे छात्रों का सर्वांगण विकास हो सके और वे राष्ट्र और समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

1 **खेलकूद–**

महाविद्यालय मे निम्न खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है– बैडमिन्टन, फुटबाल, कबड्डी, वालीबाल, हॉकी, खो–खो एवं एथलेटिक्स। इस महाविद्यालय के छात्र प्रत्येक वर्ष अन्तर्विश्वविद्यालयी, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।

2 **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)–**

युवाओं में समाज सेवा और राष्ट्र भक्ति की भावनाएँ जाग्रत करने हेतु महाविद्यालयों में राष्ट्र सेवा योजना की गतिविधियाँ संचालित की जाती है। एन.एस.एस. ने अपने 45 वर्ष की यात्रा में शैक्षिक परिसरों को समाज से जोड़ने का कार्य किया है। तथा सार्वजनिक हित की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के साथ–साथ समाज सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना और राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनाना है।

कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिए बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरुकता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/ प्रदेश के द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि कार्यक्रमों को एकीकृत रंग में एन.एस.एस. के साथ जोड़ा गया है। एन.एस.एस. के साथ जुड़कर छात्र–छात्राएँ महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे मे जागरुक होकर समाज में कर्मठ नागरिक बन सकते हैं।

एन.एस.एस. में छात्रों को नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत दो वर्ष में 240 घण्टे अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न विषयों पर अभिविन्यास वाद–विवाद, आशुभाषण, प्रश्न मंच, जागरुकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय या बस्ती में आयोजित किये जाते हैं तथा प्रतिवर्ष तीन एक दिवसीय शिविर एवं एक सात दिवसीय विशेष शिविर (दो साल में एक बार)में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि को कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाता है।

महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा एन.एस.एस. की तीन इकाइयाँ स्वीकृत है, जिसमें से दो छात्रों के लिए और एक छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक इकाई में 100 छात्र/छात्रा पंजीकृत किये जाते हैं। प्रत्येक इकाई द्वारा पृथक–पृथक गाँव / बस्ती गोद ली जाती है। एन.एस.एस. गतिविधियों मे भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है, परन्तु प्रत्येक इच्छुक छात्र/छात्रा को एक आवेदन पत्र भरना आवश्यक है, जो महाविद्यालय के एन.एस.एस. कार्यक्रम अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

एन.एस.एस. अधिकारी –1 श्रीमती पुष्पा मीना– प्रथम इकाई 2. डॉ. पूरण प्रकाश –द्वितीय इकाई

3 श्री अजय जाखड – तृतीय इकाई

4 **एन.सी.सी** (कैप्टन **डॉ. विनोद कुमार बैरवा)**

विश्व की दूसरी रक्षा पंक्ति एन.सी.सी. की शुरुआत 20वीं सदी में हुई । भारत में 1947 में गठित कुंजरू समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए सरकार ने 1948 में राष्ट्रीय कैडिट कोर का विधिवत गठन किया।

इस महाविद्यालय में एन.सी.सी. की शुरुआत सत्र 2006–07 में हुई । इसके माध्यम से विद्यार्थियों में चारित्रिक विकास की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और वे प्रेरित होकर देश सेवा के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे साहसी, दृढ़, गंभीर और अनुशासित हो जाते हैं।

एन.सी.सी. में प्रवेश के इच्छुक छात्र एन.सी.सी. अधिकारी से मिलकर प्रवेश सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के लिए निश्चित प्रक्रिया के तहत फिजिकल परीक्षा ली जाती है और सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कैडिट चयनित किया जाता है। एन.सी.सी. में प्रवेश के लिए उम्र 15 से 26 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसमें प्रवेश के लिए प्रथम वर्ष के छात्र ही पात्र होते हैं।

एन.सी.सी. अधिकारी –प्रथम राज बटालियन – कैप्टन डॉ. विनोद कुमार बैरवा (**ANO**)

5 स्काउट–

राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के अधीन स्काउट रोवर क्रू इस महाविद्यालय में सत्र 2004 से सतत् क्रियाशील है। महाविद्यालय के छात्रों में सुनागरिकता के गुण विकसित करने के उद्देश्य से गठित इस मिलन को विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन माना जाता है।

देश सेवा की भावना से ओतप्रोत संगठन के सदस्य, साहसिक गतिधियों , प्राथमिक उपचार आपदा प्रबन्धन, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण, नागरिक सुरक्षा इत्यादि कार्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त कर आवश्यकता पड़ने पर उचित सहयोग प्रदान करते हैं। विगत 5 वर्षो में महाविद्यालय रोवर स्काउट क्रू के रोवर विभिन्न राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय आदि प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में भाग लेकर महाविद्यालय को सम्मान दिला चुके हैं। सत्र 2011–12 से छात्राओं का स्काउट एवं गाईड रेंजर क्रू आरम्भ किया गया है।

रोवर लीडर अधिकारी – डॉ. रामेश्वर प्रसाद मीना

रेंजर लीडर अधिकारी – डॉ. संगीता नागरवाल

नोट–एन.एस.एस., एन.सी.सी. एवं स्काउट में से कोई एक गतिविधि में ही छात्र/छात्रा प्रवेश ले सकते हैं।

6 ईको क्लब

पर्यावरण के संरक्षण हेतु इस महाविद्यालय द्वारा ईको क्लब का संचालन किया जा रहा है।

7 छात्रसंघ–

छात्रों द्वारा अपने मध्य से छात्र प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर छात्र संघ कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। इस रीति से छात्र की नेतृत्व प्रतिभा को सकारात्मक दिशा देने के साथ–साथ राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह कार्यकारिणी महाविद्यालय में समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोगात्मक भूमिका का निर्वाह करती हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अन्य गतिविधियाँ

1 योजना मंच–

अर्थशास्त्र विषय एवं वाणिज्य संकाय के छात्र योजना मंच के अनिवार्य सदस्य होते हैं। इसका सदस्यता शुल्क प्रवेश के साथ लिया जाता है। दोनों संकायों में अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/ छात्रा को पदाधिकारी मनोनीत किया जाता है।

2 पत्रिका–

छात्रों में मौलिक लेखन प्रतिभा की अभिव्यक्ति हेतु संस्था द्वारा सृजन पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

3 सांस्कृतिक / साहित्यक गतिविधियाँ–

छात्रों में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतिभा को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समितियाँ छात्र/छात्राओं के लिये समय–समय पर गतिविधियाँ आयोजित करती है।

4 महिला प्रकोष्ठ

बालिकाओं और महिलाओं में अपने अधिकारों , स्थिति एवं गरिमा के प्रति जागरुकता लाने के लिए समाज में नारी की भूमिका के विविध आयामों का अध्ययन करने हेतु यह प्रकोष्ठ विभिन्न गतिविधियाँ

आयोजित करता है। उक्त प्रकोष्ठ में विभिन्न कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पदाधिकारी मनोनित किया जाता है।

5 **छात्र परामर्श केन्द्र–** इस केन्द्र द्वारा छात्रों को रोजगार एवं अध्ययन संबंधी परामर्श दिया जाता है।

6 **युवा विकास केन्द्र**

छात्रों में व्यक्तित्व विकास एवं कैरियर संबंधी जानकारी देने के लिए समय–समय पर विस्तार व्याख्यानों का आयोजन युवा विकास केन्द्र द्वारा किया जाता है।

समन्वयक – डॉ. कमलेश कुमार सारसर

छात्रों को देय सुविधाएँ

छात्राकक्ष– छात्राओं की सुविधा के लिए छात्रा कक्ष की व्यवस्था है।

निजी वाहन स्टैण्ड –

महाविद्यालय में छात्रों के निजी वाहन रखने हेतु स्टैण्ड की व्यवस्था की गई है। छात्र/छात्रा अपना वाहन स्टैण्ड पर खड़ा करें एवं टोकन प्राप्त करें।

परिवहन रेलवे कन्सेशन व पथ परिवहन रियायत–

केवल दशहरा, शीत व ग्रीष्मावकाश मे ही रेलवे अथवा बस द्वारा कालेज से घर जाने तथा वापस आने के लिए रेलवे कन्सेशन मिलता है। इस संदर्भ में घर से तात्पर्य उस स्थान से है जो छात्र ने अपने प्रवेश फार्म मे लिखा है।

राशन कार्ड

अगर किसी का निवास रेलवे स्टेशन वाले नगर में नहीं है तो उक्त स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन तक कन्सेशन मिल सकेगा। प्रार्थी को अपना प्रार्थना पत्र निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय कार्यालय में दे देना चाहिए।

नोट– कन्सेशन के साथ परिचय–पत्र अवश्य होना चाहिए।छात्र को नियमानुसार प्राप्त होने वाली रोडवेज बस के कन्सेशन के लिए निर्धारित प्रपत्र भर कर प्राचार्य के हस्ताक्षर करवाने के उपरान्त अपने ही स्तर पर रोडवेज कार्यालय में जमा करवाना होगा।

शुल्क सम्बन्धी नियम

सामान्य नियम

1 परीक्षा शुल्क के अतिरिक्ति वार्षिक तथा अन्य शुल्क प्रवेश के समय देय है।

2 समस्त प्रवेशार्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र (मूल प्रति) प्रस्तुत करें। जिन प्रवेशार्थियों के पिता/संरक्षक सरकारी कर्मचारी हैं, वे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष से आय प्रमाण–पत्र लेकर प्रस्तुत करें अन्यथा उनसे आयकर देने वाले वर्ग की श्रेणी वाला शुल्क लिया जायेगा।

3 केवल कॉशन मनी प्रथम बार प्रवेश के अवसर पर ली जायेगी। महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्षो के भीतर कॉशन मनी वापस नहीं लिए जानें पर उसे नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करा दिया जायेगा।

4 सत्र के मध्य कॉलेज छोडने वाले छात्रो को कालेज के प्राचार्य के लिखित रूप से सूचना देनी होगी।

5 विकलांग छात्रो को दुर्घटना बीमा की राशि 100/–रूपये महाविद्यालय में जमा करानी होगी।

कक्षावार शुल्क तालिका

प्रवेशार्थियों द्वारा प्रवेश के समय नकद/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा दय कुल शुल्क की कक्षावार तालिका								
कला संकाय / वाणिज्य संकाय				स्नातकोत्तर हिन्दी / राजनीति विज्ञान		स्नातक विज्ञान संकाय (गणित एवं जीव विज्ञान)		
वर्ग	भाग प्रथम	भाग द्वितीय	भाग तृतीय	एम.ए.पूर्वार्द्ध	एम.ए. उत्तरार्द्ध	भाग प्रथम	भाग द्वितीय	भाग तृतीय
सामान्य वर्ग आयकर दाता	1515	1040	1040	1114	1114	1615	1140	1140
सामान्य वर्ग गैर आयकर दाता	1437	962	962	1024	1024	1537	1062	1062
अनु.जाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग	1395	920	920	970	970	1495	1020	1020
छात्राएँ	1400	925	925	975	975	1400	925	925
भूगोल विषय के विद्यार्थी अतिरिक्ति जोड़े	100	100	100	–	–	–	–	–

नोटः–

1. उपर्युक्त शुल्क राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित किये जाने की स्थिति में परिवर्तनीय हैं।

2. **विकलांग छात्र–छात्रा से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा लेकिन प्रवेश की अन्तिम तिथि तक मूल प्रमाण–पत्रो को मिलान करने के लिए प्रस्तुत करना होगा साथ ही सामूहिक दुर्घटना बीमा राशि के 100रु जमा करवाने होंगे।इस रसीद की तिथि को ही प्रवेश तिथि माना जायेगा।**

छात्रवृत्तियाँ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृत्तियॉ –

(अ) मैट्रिकोत्तर–छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/जनजाति

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग (देवनारायण योजना) के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है।

1 पात्रता

(क) केवल वे ही छात्र जो राजस्थान के अनु. जाति, अनु जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग से संबंधित हों।

(ख) शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय मे अध्ययन करने वाले , जैसे बी. ए. के बाद बी.कॉम करने वाले या एम.ए करने के बाद किसी अन्य विषय में एम.ए करने वाले , इसके पात्र नहीं होंगे।

(ग) नियोजित छात्र जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

(घ) एक ही /पिता अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

(ङ) कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हो।

(च) अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए देय नहीं।

2 आय जॉच–

SC, ST, MBC के छात्र/छात्राओं के माता–पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख तक होने तथा OBC के छात्र/छात्राओं के माता–पिता की वार्षिक आय 2.00 लाख तक होने पर छात्रवृति का भुगतान देय होगा । (यह आय सीमा आगामी आदेश तक लागू है।)

3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्देशानुसार छात्र द्वारा संस्था को प्रदत्त फीस /परीक्षा फीस का भुगतान किया जावेगा।

4 नवीनीकरण– अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी।

5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन करने व संस्था द्वारा जॉच के उपरान्त छात्रवृत्ति का भुगतान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा।

6 आवेदन :–छात्रवृत्ति के लिए आवेदन–पत्र ऑन लाइन निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। दस्तावेजो की सूची ऑन लाईन फार्म पर अंकित है।

आयुक्त कालेज शिक्षा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

क्र	छात्रवृत्ति	पात्रता	आय सीमा	आय सीमा पद प्रतिमाह	
				छात्रावास	अछात्रावास
1	2	3	4	5	6
1	आवश्यकात एवं योग्यता छात्रवृत्ति	राजस्थान के विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सैकेण्डरी/सीनियर/उपाध्याय या किसी महाविद्यालय में स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंको से उर्त्तीण की हो । नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	माता–पिता की कुल आय वार्षिक 20 हजार से अधिक न हो	120 120 300	60 (पार्ट –I) 90(पार्ट II, III) 120 (स्नातकोत्तर)
2	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या विश्वविद्यालय मे योग्यता सूची मे आने पर तथा अन्य छात्रवृत्ति धारक ने होने पर नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर ।	माता–पिता की कुल आय 25 हजार रुपये से अधिक न हो (स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु आय सीमा नहीं)	100 120 300	60 (पार्ट –I) 90(पार्ट II, III) 120 (स्नातकोत्तर)
3	अध्यापको के बच्चो को देय राष्ट्रीय छात्रवृति	सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से उत्तीर्ण एवं निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेरद्वारा चयनित नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर ।	मता–पिता की कुल वार्षिक आय 25 हजार से अध्किा न हो।	100 120 300	60 (पार्ट –I) 90(पार्ट II, III) 120 (स्नातकोत्तर)
4	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	सीनियर सैकण्डरी अजमेर या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड या स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो।	अभिभावकों की वार्षिक आय 1. 00 लाख तक	100 120 300	60 (पार्ट –I) 90(पार्ट II, III) 120 (स्नातकोत्तर)
5	स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों एवं पोतों/पोतियों को अध्ययनरत होने एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ।	नियमानुसार	100	60
6	मृतक राज्य कर्मचारी के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	राज्य सेवा में कार्य करते हुए मृत कर्मचारीके उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिए।	कोई आय सीमा नहीं।	– –	50 स्नातक स्तर 75 स्नातकोत्तर स्तर
7	उर्दू छात्रवृति	स्नातक स्तर पर राजस्थान के मूल निवासी छात्राओं को 50 प्रतिशत अंको के साथ महाविद्यालय में उर्दू ऐच्छिक विषय लेकर पढ़ने पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय श्रेणी मे उत्तीर्ण छात्रा को उर्दू विषय लेकर पढ़ने पर ।	कोई आय सीमा नहीं ।	– –	100 स्नातक स्तर 150 स्नातकोत्तर स्तर

8	भारत, पाक एवं चीन युद्ध एवं मृत सैनिको के बच्चों / विधवाओं की छात्रवृत्ति	इस युद्ध में मृतक या अपंग सैनिको के बच्चों एवं विधवाओं को जो महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत हैं।	नियमानुसार	100	60
9.	राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय महिला छात्रवृत्ति	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर।	आयकरदाता नही हों।	—	150

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना–

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह नवीन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वरीयता के आधार पर छात्रवृत्ति दिये जाने की घोषणा वर्ष 2012–13 में बजट में की थी। इसी की अनुपालना में इस छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। यह छात्रवृत्ति सीनियर सैकण्डरी में उत्तीर्ण एवं कालेज में प्रवेशित एक लाख छात्र–छात्राओं को वरीयता के आधार पर प्रदान की जाती है।

पात्रता–

1 छात्र–छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
2 महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी हो।
3 सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण की हो।
4 अभिभावक / संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।
5 छात्र अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं कर रहा हो।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की पालनार्थ, राजस्थान मूल की विशेष पिछड़ा वर्ग (1) बंजारा, बालदिया, लवाना (2) गाडिया लोहार, गाडोलिया(3) गूजर, गुर्जर(4) रायका, रेबारी (देवासी) की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 55 प्रतिशत या अधिक अंक लाने व राजकीय महाविद्यालयों मे डिग्री प्रथम वर्ष में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रतिशत वरीयता के आधार पर प्रथम 1000 छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरण की जायेगी।

पात्रता की शर्तें–

1 छात्रा राजस्थान की मूल निवासी एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाड़ोलिया गूजर, गुर्जर, राईका, रैबारी, देवासी)।
2 अभिभावक व संरक्षक की वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक न हो।
3 महाविद्यालय में डिग्री प्रथम वर्ष की नियमित विद्यार्थी हो।
4 सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त हो।

इसी प्रकार विशेष पिछडा वर्ग की छात्राओं के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत रहकर डिग्री प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाली

और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे 60 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को क्रमशः 10,000/– व 20,000/– प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

नोटः– सभी छात्रवृत्ति संबंधी निर्देश एवं आवेदन पत्र निदेशालय कालेज शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अतः छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाएँ वेबसाइट पर देंखे।

मेधावी स्कूटी योजना

राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2015 से लागू की गई है। राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से कक्षा 12 वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन किया हो एवं महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हो तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक प्राप्त किये हों। छात्रा राजस्थान राज्य की मूल निवासी हो। स्कूटी वरीयता अनुसार 1650 (प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी) स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी। अनुसूचित जनजाति व विशेष पिछडा वर्ग की छात्राऐं इस योजना में पात्र नही है। आयकरदाता नही होना चाहिए।

संकाय सदस्य

प्राचार्य – रिक्त पद
उप प्राचार्य – प्रो. सुनीता विजयवर्गीय (कार्यवाहक प्राचार्य)

कला संकाय

अंग्रेजी विभाग		राजनीति विज्ञान	
1	डॉ. विनोद कुमार बैरवा	1	डॉ. गुलाब चन्द मीना
2	रिक्त पद	2	डॉ. शिल्पी श्रृंगारी
संस्कृत विभाग		2	डॉ. सम्पत राम रैगर
1	डॉ. बंशीधर रावत	3	डॉ. मनोज कुमार
2	रिक्त पद	4	श्री सुबुद्धि सिंह कसाना (कार्य व्यवस्थार्थ)
3	रिक्त पद	5	रिक्त पद
हिन्दी विभाग		6	रिक्त पद
1	डॉ. मुन्नालाल गुर्जर	7	रिक्त पद
2	प्रो सीमा खड़कवाल	8	रिक्त पद
3	डॉ. रामेश्वर प्रसाद मीना	समाजशास्त्र विभाग	
4	डॉ. सीताराम मीना	1	डॉ. झब्बूराम वर्मा
5	डॉ. पूरण प्रकाश जाटव	2	श्रीमती पुष्पा मीना
6	रिक्त पद	अर्थशास्त्र विभाग	
7	रिक्त पद	1	रिक्त पद
8	रिक्त पद	इतिहास	
9	रिक्त पद	1	डॉ. संगीता नागरवाल
भूगोल विभाग		2	डॉ. कमलेश सारसर
1	डॉ. केशव देव मीना	3	डॉ. विश्राम मीना
		4	रिक्त पद
कम्प्यूटर शिक्षा			
1	श्रीमती प्रियंका नामा		
वणिज्य संकाय			
लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग		व्यावसायिक प्रशासन विभाग	
1	डॉ. संजय कुमार	1	श्री कैलाश चन्द मीना
आर्थिक प्रशासन एवं विभाग			
1	डॉ. जगदीश प्रसाद मीना		
विज्ञान संकाय			
1	भौतिक शास्त्र– रिक्त पद	4	प्राणी शास्त्र– डॉ. बृजमोहन मीना
2	गणित– डॉ. सज्जन सिंह राव	5	वनस्पति शास्त्र– प्रो. अजय कुमार जाखड
3	रसायन शास्त्र– निर्मला बंसल		
शारीरिक शिक्षक – रिक्त पद			सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष– रिक्त पद

कर्मचारी वृन्द

मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी

पद		नाम
1	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड –I	श्री ब्रज मोहन बैरवा
2	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	श्री कमलेश कुमार शर्मा
3	लिपिक ग्रेड – I	रिक्त
4	लिपिक ग्रेड – II	श्री राधेश्याम बैरवा श्री
5	लिपिक ग्रेड – II	श्री रामभरोसी मीना
6	लिपिक ग्रेड – II	श्री राजेश कुमार गुर्जर
7	प्रयोगशाला सहायक	श्री बुद्धि प्रकाश मीना
8	प्रयोगशाला सहायक	श्री दीपक कुमार जादौन

सहायक कर्मचारी

	पद	नाम
1	बुक लिफ्टर	रिक्त पद
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	श्री गोरधन सिंह
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रिक्त पद